

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क.-34 / 17

संस्थित दिनांक- 07.02.2017

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र चंदेरी
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

1. हीरालाल पुत्र मोहन अहिरवार उम्र 55 साल
निवासी नई बस्ती फतेहाबाद थाना चंदेरी
तहसील चंदेरी जिला- अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्त

—: निर्णय :-

(आज दिनांकको घोषित)

- 01— अभियुक्त के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 289, 429 के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उसने दिनांक 20.01.2017 को समय करीब 11:00 से 11:10 बजे चुन्नी लाल के घर के पास नई बस्ती फतेहाबाद चंदेरी में अपने कब्जे के पालतू कुत्ते के विषय में जानते हुये व उपेक्षा पूर्वक ऐसी व्यवस्था नहीं की, जिससे मानव जीवन संकटापित होने के संभावित खतरे से बचा जा सके और तद्द्वारा उक्त पालतू कुत्ते ने फरियादी बिन्नी बाई कि बकरी को काट कर उसका वध कर फरियादी को 50/- रुपये से अधिक मूल्य की रिष्टी कारित की।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 20.01.2017 के करीबन 11:00 बजे फरियादी अपनी बकरियों के चराने के लिये पहाड़ी पर जंगल में ले जा रही थी, उसी समय फरियादी बिन्नी का पड़ोसी हीरालाल अहिरवार का पालतू कुत्ता उसकी बकरियों तरफ दौड़ा और उसने उसकी एक बकरिया कि गर्दन पकड ली, फरियादी चिल्लायी तो उसका लडका राजेश आ गया उसने कुत्ता को भगाया, परन्तु नहीं भगा व उसकी बकरी मर गयी। जिससे करीब एक हजार रुपये का नुकसान हो गया। घटना छोटे यादव ने देखी। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक-21/17 अंतर्गत धारा- 289, 429 भा0द0वि0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक-07.06.17 को फरियादी बिन्नी बाई द्वारा अभियुक्त से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) एवं 320 (8) द0प्र0स0 के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुए अभियुक्त को भा0द0वि0 की धारा-429 के तहत दण्डनीय

अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया, भा0द0वि0 की धारा 289 शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्त पर विचारण किया गया।

04— अभियुक्त को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फसाया गया है।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1.	क्या अभियुक्त दिनांक 20.01.2017 को समय करीब 11:00 से 11:10 बजे चुन्नी लाल के घर के पास नई बस्ती फतेहाबाद चंदेरी में अपने कब्जे के पालतू कुत्ते के विषय में जानते हुये व उपेक्षा पूर्वक ऐसी व्यवस्था नहीं की, जिससे मानव जीवन संकटापित होने के संभावित खतरे से बचा जा सके ?
2.	दोषसिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— अभियोजन की ओर से प्रकरण में हुये राजीनामें एवं अभिलेख पर आयी साक्ष्य को देखते हुये फरियादी बिन्ना (अ0सा0—1) सहित उसके पुत्र राजेश (अ0सा0—2) के कथन न्यायालय में कराये गये। फरियादी बिन्ना (अ0सा0—1) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि तीन चार माह पहले वह दिन के समय अपनी बकरी को चराने के लिये पहाड पर स्थित जंगल में गयी थी, तो उस समय किसी आवारा कुत्ते ने उसकी बकरी को काट लिया था, जिससे उसकी बकरी मर गयी थी। इस साक्षी के अनुसार मौके पर उपस्थित उसके लडके राजेश (अ0सा0—2)ने उस कुत्ते को भगाया। राजेश अ0सा0 2 ने भी फरियादी बिन्ना (अ0सा0—1) के उपरोक्त कथनों की पुष्टि अपने न्यायालीन कथनों में किये हैं।

07— घटना दिनांक को बिन्ना (अ0सा0—1) पहाड स्थित जंगल पर अपनी बकरी चराने के लिये गयी थी और वहां कुत्ते के काटने के कारण उसकी बकरी मर गयी थी तथा मौके पर राजेश (अ0सा0—2) ने भी घटना देखी थी, इस संबंध में फरियादी बिन्ना (अ0सा0—1) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथनों में पुष्टि उसके द्वारा लेखबद्ध करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 1 से भी होती हैं, जिसको लेख कराना एवं उस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर होना इस साक्षी ने अपने कथनों में स्वीकार किया है। फरियादी बिन्ना (अ0सा0—1) के कथनों का समर्थन राजेश (अ0सा0—2) ने किया है तथा इन दोनों साक्षियों के उपरोक्त कथनों को उनके प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से कोई चुनौती नहीं दी गयी है। अतः बिन्ना (अ0सा0—1) व राजेश (अ0सा0—2) की साक्ष्य से यह

प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को बिन्ना (अ0सा0-1) जब पहाड़ स्थित जंगल पर अपनी बकरी चराने गयी थी, तो वहा पर एक कुत्ते ने उसकी बकरी को काट लिया था, जिससे बकरी की मृत्यु हो गयी थी।

- 08- अतः मुख्य रूप से अब यह देखा जाना है कि वास्तव में जिस कुत्ते के काटने से फरियादिया की बकरी की मृत्यु हुयी क्या उक्त कुत्ता अभियुक्त का पालतू कुत्ता था ? और यदि उक्त कुत्ता अभियुक्त को पालतू कुत्ता था, तो क्या अभियुक्त ने यह जानते हुये व उपेक्षा पूर्वक ऐसी व्यवस्था नहीं की, जिससे उक्त कुत्ते के कारण मानव जीवन संकटापित होने के संभावित खतरे से बचा जा सके ? बिन्ना (अ0सा0-1) व राजेश (अ0सा0-2) इन दोनों ही साक्षियों का अपने न्यायालीन कथनों में यह कहना है कि जिस कुत्ते ने उनकी बकरी को कटा था, वह कुत्ता किस व्यक्ति का था उन्हें मालूम नहीं हैं। फरियादी बिन्ना (अ0सा0-1) अपने न्यायालीन कथनों में यह स्वीकार करती हैं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 1 में उसने उक्त कुत्ता अभियुक्त का होना लेख कराया था, परन्तु इस साक्षी का प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 1 के विपरीत यह कहना है कि उसने गलती से आरोपी का कुत्ता समझ कर आरोपी का नाम रिपोर्ट में लेख करा लिया था, जबकि उसे बाद में पता चला कि कुत्ता आरोपी का नहीं हैं। इसी प्रकार राजेश (अ0सा0-2) ने भी बिन्ना (अ0सा0-1) के उपरोक्त कथनों के समर्थन में कथन दिये हैं।
- 09- फरियादिया बिन्ना (अ0सा0-1) जिसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करायी गयी वह अपने न्यायालीन कथनों में स्वयं ही अभियोजन घटना के विरुद्ध यह स्वीकार करती हैं कि जिस कुत्ते ने उसकी बकरी को काटा था, वो कुत्ता आरोपी का नहीं था तथा उसने गलती से आरोपी का नाम लेख कराया था तथा राजेश (अ0सा0-2) भी इसी तरह के कथन न्यायालय में देता हैं, अभियोजन का समर्थन न करने के कारण इन दोनों ही साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी कर उनका विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया। परन्तु इन दोनों साक्षियों ने अभियोजन का इस बात पर लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया कि जिस कुत्ते के काटने से फरियादिया बिन्ना (अ0सा0-1) की बकरी की मृत्यु हुयी थी, उक्त कुत्ता अभियुक्त का पालतू कुत्ता था।
- 10- अतः फरियादिया बिन्ना (अ0सा0-1) व राजेश (अ0सा0-2) के द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने के कारण अभियुक्त के विरुद्ध इस आशय की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि जिससे यह प्रमाणित हो कि जिस कुत्ते के काटने से फरियादी की बकरी की मृत्यु हुयी वो कुत्ता अभियुक्त का था। अतः यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त के कुत्ते के काटने से फरियादी की बकरी की मृत्यु हुयी और यदि अभियुक्त के कुत्ते के काटने से फरियादी की बकरी नहीं मरी, तो यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त पर उस कुत्ते के संबंध में यह दायित्व था कि वह उक्त कुत्ते के कारण मानव जीवन को संकटापित होने के संभावित खतरे से बचे जाने के लिये कोई उपाये करें या उसने ऐसे कोई उपाये करने में जान बूझ कर लापरवाही या उपेक्षा बरती हैं।

- 11- फलस्वरूप अभिलेख पर आयी साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह साबित करने में सफल नहीं हुआ कि अभियुक्त ने दिनांक 20.01.2017 को समय करीब 11:00 से 11:10 बजे चुन्नी लाल के घर के पास नई बस्ती फतेहाबाद चंदेरी में अपने कब्जे के पालतू कुत्ते के विषय में जानते हुये व उपेक्षा पूर्वक ऐसी व्यवस्था नहीं की, जिससे मानव जीवन संकटापित होने के संभावित खतरे से बचा जा सके
- 12- फलतः अभियुक्त हीरालाल पुत्र मोहन अहिरवार के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा-289 के आरोप साबित नहीं होते हैं। उपरोक्त आधार पर अभियुक्त हीरालाल पुत्र मोहन अहिरवार को भा0दं0वि0 की धारा-289 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 13- अभियुक्त हीरालाल पुत्र मोहन अहिरवार के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। अभियुक्तगण का धारा-428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति मूल्य कुछ नहीं।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)